

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पटना शहर एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों से जल-जमाव से मुक्ति के लिए Design consultant for Planning, Design & Preparing DPR & Bid Document for comprehensive Storm Water Drainage System for Patna Nagar Nigam, Khagaul, Danapur, Phulwarisharif and adjoining area हेतु परामर्शी शुल्क ₹750.00 लाख + 18 प्रतिशत GST (₹135.00 लाख) अर्थात् कुल ₹885.00 लाख (आठ करोड़ पचासी लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹713.67 लाख (सात करोड़ तेरह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक- 1711, दिनांक- 02.03.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आगामी मॉनसून, 2020 की तैयारियों तथा पटना शहर में हुए जल-जमाव की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए पटना शहर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों से जल निकासी के लिए Design consultant for Planning, Design & Preparing DPR & Bid Document for comprehensive Storm Water Drainage System Patna Nagar Nigam, Khagaul, Danapur, Phulwarisharif and adjoining area हेतु निविदा के माध्यम से परामर्शी का चयन कर दर वार्ता किया गया है। दर वार्ता के उपरांत परामर्शी शुल्क के रूप में ₹750.00 लाख + 18 प्रतिशत GST (₹135.00 लाख) अर्थात् कुल ₹885.00 लाख (आठ करोड़ पचासी लाख रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में तालिका के स्तम्भ- 2 में अंकित कार्य हेतु स्तम्भ- 3 में अंकित राशि परामर्शी शुल्क ₹750.00 लाख + 18 प्रतिशत GST (₹135.00 लाख) अर्थात् कुल ₹885.00 लाख (आठ करोड़ पचासी लाख रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹713.67 लाख (सात करोड़ तेरह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद से राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

CP

उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- 48-2215021910102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹713.67 लाख (सात करोड़ तेरह लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र में से ₹629.80 लाख (छः करोड़ उनतीस लाख अस्सी हजार रु०) की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2215-जलापूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष- 02-मल जल तथा सफाई, लघुशीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2215027890101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 03.03.2020 के मद संख्या- 11 के रूप में प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/ना०नि०-02-05/2019 के पृष्ठ सं०-.....16...../टि० पर दिनांक-05/03/2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....17...../टि० पर दिनांक-05/03/2020 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-05/2019 240 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-05/3/2020

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुख्य अभियंता, बुडको/कार्यपालक अभियंता, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/05.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।